राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3(ख) नि.प. आई–298/88/अलेसे–III/713-719 दिनांक :– 19.07.2016

कार्यालय आदेश

संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश क्रमांक स्थापना/16/5 दिनांक 04.04.2016 के द्वारा श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर को निलम्बित किया जाकर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोष कार्यालय, कलेक्ट्रेट, भरतपुर किया गया था।

श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, के प्रकरण की समीक्षा करने के पश्चात सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के द्वारा जारी निलम्बन आदेश दिनांक 04.04.2016 का अनुमोदन नहीं करने का निर्णय लेते हुए श्री शर्मा को तुरन्त प्रभाव से एतद द्वारा निलम्बन से बहाल किया जाता है। निलम्बन में से बहाली उपरान्त पद स्थापन की प्रतीक्षा में इनका मुख्यालय कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर रहेगा। नियमित पद स्थापन होने तक श्री शर्मा अपनी उपस्थिति मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें एवं इस कार्यालय में रिक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद का नियमित कार्य भी अग्रिम आदेशो तक संम्पादित करेगे।

निलम्बन अवधि एवं इस अवधि के दौरान देय वेतन–भत्तों का निर्णय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा इस विभाग को प्रेषित आरोप पत्र के संबंध में निर्णय के अध्यधीन होगा।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ख) नि.प. आई–298/88/अलेसे–III/713-719 दिनांक :– 19.07.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 30.06.2016 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश क्रमांक स्थापना/16/5 दिनांक 04.04.2016 के क्रम में
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर।
4. कोषधिकारी कोष कार्यालय भरतपुर।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/पी.आई.एस अपडेशन हेतु
6. श्री ईश्वरी प्रसाद सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (निलम्बित) मुख्यालय कोष कार्यालय भरतपुर।
7. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)